संख्या-07/2021-2120/58-2020-24/2019टीसी-1

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यक्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत तथा प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-79/बजट/2020-21, दिनांक 24.11.2020 एवं पत्र संख्या-70/बजट/2020-21, दिनांक 11.11.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख में अवशेष धनराशि रू0-421.70 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 354.90 लाख (रू0 तीन करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार) तथा अनुदान सं0-10 में लेखाशीर्षक 2401-108-03-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 69.16 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू056.76 लाख (रू0-छप्पन लाख छिहत्तर हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0-411.66 लाख (रू0 चार करोड़ ग्यारह लाख छाछठ हजार) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अवमुक्त करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः

(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	मद का नाम	आय-व्ययक में प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
अनुदान सं0-10लेखाशीर्षक-2401-119-03-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना	27-सब्सिडी	500.00	78.30	421.70	354.90
अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2401-108-03-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना	27-सब्सिडी	56.76	0.00	56.76	56.76
	42-अन्य व्यय	2.40	2.40	0.00	0.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00	0.00	0.00
योग-		69.16	12.40	56.76	56.76
कुल योग-		569.16	90.70	478.46	411.66

(रूपये-चार करोड़ ग्यारह लाख छाछठ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि व्यय किया जान सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) सामग्री क्रय में एम.एस.एम.ई., वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय, किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(12) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक उद्यान का होगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि की उपलब्धता के संबंध में वित्त नियंत्रक सुनिश्चित हो लेंगे।

(14) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(15) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(16) यदि विभाग द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक उद्यान, वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(17) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टीसी-11 दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(18) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-27-सब्सिडी तथा लेखाशीर्षक-2401-108-03-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी मद में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-79/दस-2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

<u>संख्या- 07/2021-2120(1)/58-2020-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

http://srasamadesh.up.gov.in

4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित कोषाधिकारी ।
6- संबंधित उप निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी।
7- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in